

# जबरन बेदखली के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र ने अपने गत मार्च माह में पारित एक प्रस्ताव द्वारा पूरे के पूरे समुदायों की जबरन बेदखली के 'मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन' घोषित करते हुए देशों की सरकारों को हिदायत दी है कि वे उन प्रक्रियाओं से बाज आएं, जिनके कारण लोगों तथा समुदायों को बड़े पैमाने पर उनके घर-बारों से विस्थापित होना पड़ता है।

इस समय जबकि सरदार सरोवर और तथा संबंधित विकास-परियोजनाओं तथा सरचनात्मक समायोजन की नई नीतियों के कारण मानव-विस्थापन की समस्या उत्तरोत्तर गंभीर होती जा रही है, इस मुग्ध-प्रवर्तक प्रस्ताव का महत्व और भी बढ़ गया है। इस बात से भी प्रस्ताव का महत्व बढ़ता है कि जब संयुक्त राष्ट्र मानव-अधिकार आयोग ने यह प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किया, तब भारत इस पर हस्ताक्षर करने का ज्यादा इच्छुक नहीं था। संयुक्त राष्ट्र की पह मानव अधिकारों से संबंधित अग्रणी नीति निश्चिक संस्था है। इस प्रस्ताव के पारित करवाने का श्रेय मैक्सिको की स्वयंसेवी संस्था हबिटेट इंटरनेशनल कोएलिशन (एच.आई.सी.) को जाता है, जिसने तीन वर्ष तक चली चर्चाओं और सारी दुनिया में आवास समस्याओं के अध्ययन व आकड़ों के संकलन के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र को यह काम हाथ में लेने के लिए राजी किया।

जबरन बेदखली को समस्या उस विश्वव्यापी प्रथा का अनिवार्य अंग है, जो यह मानती है कि आमुनिक विकास की प्रक्रिया में 'व्यापक हित' के लिए कुछ लोगों को त्याग तो करना ही पड़ता है। सारी दुनिया में कितने लोग व समुदाय अब तक 'विकास' के नाम पर बेदखल किए जा चुके हैं, इसके आकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ विशेषकों के अनुसार अकेले भारत में ही पिछले दशकों के दौरान इस तरह से दो-तीन करोड़ लोग उड़ चुके हैं। कनाड़ा की संस्था 'प्रोब इंटरनेशनल' के अनुसार सारी दुनिया में तो पिछले कुछ बरसों की अवधि में ही करोड़ों लोग विकास-प्रोजेक्टों के चलते बेदखल हुए हैं तथा दिस्ट्रॉक की वित्तीय मदद से बह रही परियोजनाओं के कारण ही कोई १५ लाख लोगों को अपनी जमीनों से हटना पड़ेगा।

विस्थापन की समस्या कई विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। मसलन, सरदार सरोवर जैसे बड़े बांध से कोई एक लाख लोग उनकी जमीने ढूँढ़ में आने के कारण प्रत्यक्ष स्वयंसेवा के लिए आजीविका के निवासियों के अन्यत्र बसाए जाने, जुनूनीकरण के कारण वनों पर आजीविका के लिए आश्रित लोगों के हटाए जाने तथा बांध, अन्यायालयों के कारण समुदायों के हटाए जाने तथा बांध, अन्यायालयों के कारण समुदायों के हटाए जाने के कारण भी भारी पैमाने पर उनके घरों से बेदखल करने तथा समाज में जो विस्थापन इस बांध के निर्माण के कारण होते हैं।

परियोजना-संबंधित विस्थापन के मामले में नर्मदा-धारी योजना तो हिमशिला का मात्र दिल्लीर्हाई देने वाला दसवां हिस्सा ही है। उसके अलावा बिहार के सुवर्धा रेखा बांध, उड़ीसा के बलियापाल प्रक्षेपास्व-केन्द्र, देश के विभिन्न भागों में बन रहे सुपर ताप-बिजली घरों, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के टटर्वर्ती इलाकों में विकसित किए जा रहे झीगा-प्रजनन क्षेत्रों, कर्नाटक के कैगा पम्माण-ऊर्जा संयंत्र तथा अन्य जीसियों ऐसी ही परियोजनाओं के कारण देश में समूचे जन-समुदायों को बेदखल किया जा रहा है।

बिराट परियोजनाओं के अलावा विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण शहरी जलस्तरों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन भी है। इस बजह से जंगलों तथा जमीनों के जरिए परम्परागत रूप से अपनी आजीविकाएं अर्जित करने वालों को अपनी जगह से हटना पड़ता है। कई सीमांत किसानों की तकलीफें व्यापारिक फसलों के प्रति बढ़े आग्रह के कारण बड़ी, तो कुछ लोगों को साम्प्रदायिक टकरावों के कारण भी अपने घर-बारों से उखड़ना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने गरीब देशों में जो संरचनात्मक समायोजन लागू किए हैं, वे भी इसी रूप्त्वान की बढ़ावा देंगे, क्योंकि उनके चलते भी विकास की दिशा को कुछ मुट्ठी भर उपयोक्तावादी ब्रेक्षी वर्ग की जलस्तरों की पूर्ति की तरफ ही मोड़ा जा रहा है। नक्काशों की खेती भी चूंकि बड़े किसान ही कर सकते हैं, सीमान्त किसानों को उनके रास्ते से हट जाना पड़ता है।

इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के भेदभाव उन्मूलन तथा अल्पसंख्यक संरक्षण उप-आयोग ने अगस्त १९५१ में जो प्रस्ताव स्वीकार किया था, उसमें समाजों में मैजूद संरचनात्मक विषमताओं को जबरन बेदखली का एक बड़ा कारण माना गया था। उसमें इस तथ्य के प्रति बड़ी समझदारी भी स्वीकारोंकी वित्तीयों की पारिवारिक प्रेरणा नस्ल, जातीय-मूल, राष्ट्रीयता, लिंग तथा सामाजिक, आर्थिक व अन्य हैसियतों पर आधारित भेदभाव की ही होती है। देशों की सरकारें बेदखली से जुड़ी हिस्सों को अक्सर 'शहरी पर्यावरण की सफाई', 'शहरी नवीकरण', 'भीड़ कम करने' तथा 'प्रगति और विकास' जैसे आमका नाम दे देती हैं। उस प्रस्ताव में इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों तथा एजेंसियों की पहचान भी की गयी तथा कहा गया था-बेदखली की वासदी का कियान्वयन, अनुमोदन, स्वीकृति, मांग, प्रस्ताव, पहल तथा उसे सहन करने वालों में राष्ट्रीय सरकारें, अधिग्रहण-प्राधिकरण, स्थानीय शासन, डेवलपर, प्लानर, जमीदार, जायदाद के सटोरिएं, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं तथा सहायता एजेंसियों भी शामिल हैं।

मानव-अधिकार आयोग के ताजा प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि व्यक्तियों, परिवारों तथा समूहों को उनकी मर्जी के बाहर उनके घरों से बेदखल करने तथा समाज में जो विषमताजनित टकराव पैदा होता है, उससे

सबसे ज्यादा प्रभावित समाज का सबसे गरीब तथा सामाजिक, पर्यावरणीक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वयंसेवा का खतरा ही है।

प्रस्ताव में सरकारों से कहा गया है कि वे उन लोगों के संपर्क-अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करें, जिनके निकट विभिन्न विधियों में बेदखल किये जाने का खतरा है तथा किसी भी विकास योजना को हाथ में लेने के पूर्व उससे प्रभावित होने वाले इन लोगों को उसकी आयोजना में आगीदार बना, उनसे सत्ताह-मशविरा तथा चर्चा करें। 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' की भी एक प्रमुख मांग यही है कि विकास आयोजना में किसी भी प्रकल्प से प्रभावित होने वाली की पूर्ण आगीदारी होनी चाहिए तथा किसी भी समुदाय की बेदखली का उसकी रजा-भौदी के बग्र न्यायोदित नहीं माना जा सकता।

जो लोग पहले ही विस्थापित कर दिये गये हैं, उनके बारे में उक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्हें तत्काल राहत, मुआवजा, उपयुक्त तथा पर्याप्त वैकल्पिक ऐसी जगह या जमीन प्रदान की जाए, जो उनकी आकांक्षाओं और उसको बाद अपने लगभग सारे क्रिया के अनुलम्ब हो। यह चीज भारत जैसे देशों के लिए खासतौर से जरूरी है, जहां हीराकुण्ड तथा पौगं बांधों के कारण विस्थापित होजारों लोगों को अपनी किया गया है।

आयोग ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा न्यायास्त्र के विश्लेषण तथा सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की इस विधय से संबंधित एजेंसियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक ऐसी विश्लेषणात्मक रूप्त तैयार करें, जिसमें नर्मदा बचाओ आन्दोलन जैसी बेदखली-विरोधी अधियानों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीयों का भी समावेश हो।

भारत में इस प्रस्ताव का कितना असर होगा?

हमारे विचार से भारत सरकार पर मामूली-सा नीतिक दबाव बनाने के अलावा इस प्रस्ताव का कोई खास असर होने की उम्मीद नहीं है, जबकि प्रस्ताव के निहितार्थ को पढ़ि तीक ढंग से पेश किया जाए तो वह उसके हाथों में कारगर उपकरण बन सकता है।

यह प्रचारित किया जा रहा है कि 'विकास का अधिकार' मानव-अधिकार लिहाजों से कही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैकाक में जो एशियाई लैट्रीय बैठक मानव अधिकारों पर होने वाले विश्व सम्मेलन की तैयारी के लिए हुई, उसमें भी हमारी सरकार ने यही रुख अपनाया। निश्चय ही यह अंतर्राष्ट्रीय तर्क हमारी सरकार अपने मानव अधिकार उल्लंघनों को उचित ठहराने के लिए दे रही है। इसका साफ मतलब यही है कि सरकार अपने कुप्रभावित विकास प्रादर्श के नाम पर बेदखली सहित अन्य मानव अधिकारों का उल्लंघन जारी रखेगी।

अई.सी.ई.एस.आर. की निगरानी समिति ने इन सरोकारों को मददेनजर रखते हुए ही दिसम्बर, १९५२ में पनामा तथा होमिनिक गणतंत्र को उस समझौते के उल्लंघन करने वाला देश घोषित किया। इस द्वेष समिति को प्रमाण व जानकारी एच.आई.सी. ने ही उपलब्ध कराए थे। यह एक ऐसा पूर्वादाहरण है, जो कि भारतीय परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा प्रासादिक है।

भारतीय संविधान की धारा-५९ (सी) के अनुसार यह सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है कि 'वह संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों, संधि-उत्तरदायित्वों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा दे।' अतः यह भारत सरकार की संविधान आगीदारी हो जाती है कि वह उक्त प्रस्ताव के मार्गदर्शक सिद्धांतों की जरूरत पूरी करने के लिए आवश्यक कानून बनाए और नीतियों में परिवर्तन भी करें गत फरवरी-मार्च महीनों में हुए संयुक्त राष्ट्र मानव-अधिकार आयोग के संज्ञों के द्वारा भारत सरकार ने बैठक किसी हिचक के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था लेकिन उसके बाद अपने लगभग सारे क्रियाएं में वह उस प्रस्ताव की उल्टी दिशा में जाती प्रतीत होती है। सरदार सरोवर का जो समर्थन सरकार ने, इस परियोजना की व्यापक बदनामी तथा इस बात के अकाद्य प्रभाव उपलब्ध हो जाने के बावजूद किया कि उसमें बुनियादी शर्तों तक का पालन नहीं किया जा रहा है, उससे यह बात सावित हो रही है। बल्कि बांध का एक नया औचित्य यह प्रचारित किया जा रहा है कि 'विकास का अधिकार' मानव-अधिकार लिहाजों से कही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैकाक में जो एशियाई लैट्रीय बैठक मानव अधिकारों पर होने वाले विश्व सम्मेलन की तैयारी के लिए हुई, उसमें भी हमारी सरकार ने यही रुख अपनाया। निश्चय ही यह अंतर्राष्ट्रीय तर्क हमारी सरकार अपने मानव अधिकार उल्लंघनों को उचित ठहराने के लिए दे रही है। इसका साफ मतलब यही है कि सरकार अपने कुप्रभावित विकास प्रादर्श के नाम पर बेदखली सहित अन्य मानव अधिकारों का उल्लंघन जारी रखेगी।

अतः इस स्थिति में जन-संगठनों, मण्डूर संघों तथा बेदखली विरोधी अभियानों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र के उक्त प्रस्ताव का उपयोग मानव अधिकारों के लिए हुई देश में यह माना गया है कि जबरन बेदखली की प्रथा उस अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का अनुदूल नहीं है, जिस पर दुनिया के १९८ देशों के साथ भारत ने यह कहा गया है। इस वक्त देश में अग्रणी तथा तरकीबी प्रसाद्य वकीलों का यह कर्तव्य बनता है कि वे देश के लिए एक मजबूत कानूनी मुद्रा द्वारा बनाये जाएं। प्रसाद माध्यमों की भी यह जिम्मेदारी है कि संयुक्त राष्ट्र के इस अल्प-प्रचारित प्रस्ताव की जानकारी द्वारा हर स्तर के अधिकारियों तथा नौकरानी के अधिकारियों तथा अमानवीय संज्ञानों के लिए आवश्यक विवरण देने के लिए एक मजबूत कानूनी समझौते की विस्थापन के बांध लाए जाएं। अमानवीय संज्ञानों की भी आवश्यकता है कि वे अपने घरों से बेदखल करने वाले जानी चाहिए।

मित्र कोठारी/आशीर्य कोठारी

# जबरन बेदखली के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र ने अपने गत मार्च माह में पारित एक प्रस्ताव द्वारा पूरे के पूरे समुदायों की जबरन बेदखली के 'मानव अधिकारों का घोषित करते हुए देशों की सरकारों को हिस्पात ही है कि वे उन प्रक्रियाओं से बाज़ आए, जिनके कारण लोगों तथा समुदायों के बेदखल के सुरक्षा रेखा बाय, उड़ीसा के बलियापाल प्रेसोस्ट्र-केन्ड, देश के विभिन्न भागों में बन रहे सुपर ताप-बिजली परों, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में विकसित किए जा रहे स्थीग-प्रजनन लेत्रो, कन्टाक के कैगा परमाणु-जर्जर संयंत्र तथा अन्य बीसियों ऐसी ही परियोजनाओं के कारण देश में समूचे जन-समुदायों को बेदखल किया जा रहा है।

इस समय जबकि सरदार सरोवर जैसी तथाकायित विक्रास-परियोजनाओं तथा संरचनात्मक तनायोजन की नई नीतियों के कारण मानव-विस्थापन की समस्या उत्तरोत्तर गमीर होती जा रही है, इस युग-प्रवर्तक प्रस्ताव का महत्व और भी बढ़ गया है। इस बात से भी प्रस्ताव का महत्व बढ़ता है कि जब संयुक्त राष्ट्र मानव-अधिकार आयोग ने यह प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किया, तब भारत इस पर हस्ताक्षर करने के ज्यादा इच्छुक नहीं था। संयुक्त राष्ट्र की यह मानव अधिकारों से संबंधित अग्रणी नीति निर्धारित की गयी है। इस प्रस्ताव के पारित करवाने का श्रेय मैक्सिको की स्वयंसेवी संस्था हंबिटेट इंटरनेशनल को-एलियशन (एव.आई.सी.) को जाता है, जिसने तीन वर्ष तक चली चर्चाओं और सारी दुनिया में आवास समस्याओं के अध्ययन व आकड़ों के संकलन के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र को यह काम हाथ में लेने के लिए राजी किया।

जबरन बेदखली की समस्या उस विस्थापनी प्रयोग का अनिवार्य अंग है, जो यह मानती है कि आयुनिक विकास की प्रक्रिया में 'व्यापक हित' के लिए कुछ लोगों को त्याग तो करना ही पड़ता है। सारी दुनिया में कितने लोग व समुदाय अब तक 'विक्रास' के नाम पर बेदखल किए जा रहे हैं, इसके आकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, तो किन कुछ लोगों के विशेषज्ञों के अनुसार अकेले भारत में ही पिछले दशकों के दौरान इस तरह से दो-तीन करोड़ लोग उजड़ चुके हैं। कनाडा की संस्था 'प्रोब इंटरनेशनल' के अनुसार सारी दुनिया में तो पिछले कुछ दशकों की अवधि में ही करोड़ों लोग विकास-योजनाओं के चलते बेदखल हुए हैं तथा विश्ववैक की वित्तीय मदद से चल रही परियोजनाओं के कारण ही कोई १५ लाख लोगों को अपनी जमीनों से हटना पड़ेगा।

विस्थापन की समस्या कई विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। मप्सलन, सरदार सरोवर जैसे बड़े बाय से कोई एक लाख लोग उनकी जमीने छूट में आने के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो गए तथा नहरों के निदाय संजाल (निट वर्क) से इनके अलावा सतर-से अस्ती झज्जर लोग विस्थापित हो गए। सड़कें, विज्ञी-धर्यों तथा कालोनियों के निवासियों के अन्वय बसाए जाने, मुनर्वानिकरन हेतु जमीनों के अधिग्रहण के कारण वनों पर आजीविकन के लिए अनिवार्य लोगों के हटाए जाने तथा वन्य जीवन, अचायारणों के कारण समुदायों के हटाए जाने के कारण भी भारी पैमाने पर भी परेश विस्थापन इस बाये के निर्भाय के कारण हो गए।

मानव-अधिकार आयोग के ताजा प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अवित्तियों, परिवारी तथा समूहों के उनकी मर्जी के बदर उनके घरों से बेदखल करने तक समाप्त में जो विषमताजनित टक्कराव पैदा होता है, उससे

सबसे ज्यादा प्रभावित समाज का सबसे गरीब तथा सामाजिक, पर्यावरणिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से शाटे में रहने वाला तबका होता है।

प्रस्ताव में सरकारों से कहा गया है कि वे उन लोगों के संवर्ति-अधिकारों की कानूनी संरक्षण प्रदान करें, जिनके निकट भविष्य में बेदखल किये जाने का खतरा है तथा किसी भी विक्रास योजना को हाथ में लेने के पूर्व उससे प्रभावित होने वाले लोगों को उसकी आयोजना में भागीदार बना, उनसे सलाह-भविष्यवात्र तथा चर्चा करें। 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' भी भी एक ब्रह्मुख मानव यही है कि विकास आयोजना में किसी भी प्रकल्प से प्रभावित होने वालों की पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए तथा किसी भी समुदाय की बेदखली का उसकी राज-मंदी के बगैर न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

जो लोग वहले ही विस्थापित कर दिये गये हैं, उनके बारे में उक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्हे तत्काल राहत, मुआवजा, उपयुक्त तथा पर्याप्त दैकल्पिक ऐसी जगह या जमीन प्रदान की जाए, जो उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसर ही। यह चीज़ भारत जैसे देशों के लिए खासतौर से जरूरी है, जहाँ हीराकुंड तथा पौय बांधों के कारण विस्थापित हजारों लोगों को अपनी की पर्याप्त रूप से पुनर्वासित नहीं किया गया है।

आयोग ने संयुक्त राष्ट्र नाशतायिद से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा न्यायशास्त्र के विश्लेषण तथा सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की इस विषय से संबंधित एजेंसियों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सम्बद्धायिक हंगामों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक ऐसी विश्लेषणात्मक रूप तैयार करें, जिसमें नर्मदा बचाओ आन्दोलन जैसी बेदखली-विरोधी अभियानों द्वारा निर्वित अंतर्राष्ट्रीयों का भी समावेश हो।

भारत में इस प्रस्ताव का कितना असर होगा?

हमारे विचार से भारत सरकार पर मामूली-सा नैतिक दबाव बनाने के अलावा इस प्रस्ताव का कोई खास असर होने की उम्मीद नहीं है, जबकि प्रस्ताव के निहितार्थ को पृथि लीक ईंग से पेश किया जाए तो वह उसके हाथों में कारगर उपकरण बन सकता है। यह चीज़ काफी अहमियत रखती है कि इस प्रस्ताव में यह माना गया है कि जबरन बेदखली की प्रयोग उस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समझौते (आई.सी.ई.एस.आर.) के अनुकूल नहीं है, जिस पर दुनिया के ११८ देशों के साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। इस समझौते की धारा-११ (१) में सभी देशों से यह कहा गया है कि उनकी सरकारें प्रयोक्त व्यक्ति द उसके परिवार के लिए उसके वायिद जीवन-स्तर (जिसमें पर्याप्त योजन, कपड़ा और बकान का होना शामिल है) ब्रात करने के अधिकार को मान्य करें। बेदखली की इनाजत कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के तहत ही दी जानी चाहिए।

आई.सी.ई.एस.आर. की निगरानी समिति ने इन सरोकारों को मद्देनजर रखते हुए ही दिसंबर, १९६२ में पनामा तथा होमिनिकन गणतंत्र को उस समझौते के उल्लंघन करने वाला देश घोषित किया। इस हेतु समिति को प्रमाण व जानकारी एव.आई.सी. ने ही हु उपलब्ध करवाए थे। यह एक ऐसा पूर्वोदाहरण है, जो कि भारतीय परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है।

भारतीय संविधान की धारा-५१ (सी) के अनुसार मह सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है कि 'वह संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों, संघ-उत्तरदायितों के प्रति सम्मान की चाचना को बढ़ावा दे।' अतः यह भारत सरकार की संविधानिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उक्त प्रस्ताव के भार्दशक सिद्धांतों की जरूरते पूरी करने के लिए आवश्यक कानून बनाए और नीतियों में परिवर्तन भी करें गत फरवरी-मार्च महीनों में हुए संयुक्त राष्ट्र मानव-अधिकार आयोग के सत्रों के दौरान भारत सरकार ने बगैर किसी हिचक के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था लेकिन उसके बाद अपने लगभग सारे दिशा में जाती प्रतीत होती है। सरदार सरोवर का जो समर्थन सरकार ने, इस परियोजना की व्यापक बदनामी तथा इस बात के अकाद्य प्रमाण उपलब्ध हो जाने के बावजूद किया कि उसमें बुनियादी शर्तों तक का पालन नहीं किया जा रहा है, उससे यह बात सामित हो रही है। बल्कि बाय का एक नया औद्योगिक यह प्रधारित किया जा रहा है कि 'विकास का अधिकार' मानव-अधिकार लिहाजों से कही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैकाक में जो एशियाई ईत्रीय बैठक मानव अधिकारों पर होने वाले विश्व सम्मेलन की तैयारी के लिए हुई, उसमें भी हमारी सरकार ने यही रुख अपनाया। निश्चय ही यह अंतरर्विरोधी तर्क हमारी सरकार अपने मानव अधिकार उल्लंघनों को उचित ठहराने के लिए दे रही है। इसका साफ नतलब यही है कि सरकार अपने कुपरिशापित विकास प्रादर्श के नाम पर बेदखली सहित अन्य मानव अधिकारों का उल्लंघन जारी रखेगी।

अतः इस स्थिति में जन-संगठनों, मजदूर संघों तथा बेदखली विरोधी अभियानों के लिए यह जसरी हो जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र के उक्त प्रस्ताव का उपयोग मानव अधिकारों के पक्ष में करें। इस बक्त देश में अग्रणी तथा तरकीव दक्किनों का यह कर्तव्य बनता है कि वे हमारे संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र के उक्त प्रस्ताव की मदद से जबरन बेदखली के प्रकरणों को चुनीती देने के लिए एक मजबूत कानूनी मुद्रा तैयार करें। प्रसार मायथमों की भी यह जिम्मेदारी है कि संयुक्त राष्ट्र के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव की जानकारी हर सरकार के अधिकारियों तथा नौकरशाही के अलावा आम जनता को भी दें, क्योंकि सुदूर सरकार तो ऐसा करने से रही। यह सब करते हुए ही हर विनाशकारी विकास के धरती होने वाली जबरन बेदखलीयों की असंविधानिक तथा निदायी प्रथा के समाप्त कर सक